नईदुनिया

संपादकीय

बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने छेड़ी बहस

बांग्लादेश में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने यह कहकर एक नई बहस शुरू कर दी है कि वहां के संविधान से 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दों को हटा देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अवामी लीग की शेख हसीना सरकार को गिरे कुछ महीने ही हुए हैं और बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार चल रही है। इस प्रस्ताव से यह चिंता गहरी हो गई है कि क्या बांग्लादेश एक इस्लामी राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप और खासकर विभाजन के संदर्भ में देखें तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश- तीनों का साझा इतिहास है। ऐसे में अंग्रेजी उपनिवेशवाद से मुक्ति के बाद जहां भारत ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया, वहीं पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र का रास्ता भाया। बांग्लादेश की खासियत यह रही कि शुरू में पाकिस्तान का हिस्सा रहते हुए इस्लामी राष्ट्र का अनुभव लेने के बाद वह उससे अलग हुआ और उसने अपने लिए धार्मिक रूप से उदार राष्ट्र के स्वरूप को बेहतर माना।

बांग्लादेश के संदर्भ में यह बात ज्यादा मायने इसलिए भी रखती है कि एक देश के रूप में उसका जन्म ही धार्मिक उदारता जैसे मूल्यों की सार्थकता सिद्ध करता है। पाकिस्तान के अलग अस्तित्व के पीछे यह मान्यता थी कि धर्म एक राष्ट्र के बनने का ठोस आधार है। भारत ने विभाजन को स्वीकार करते हुए भी इस मान्यता को ठुकरा दिया। बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी कि सिर्फ धर्म किसी राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद नहीं हो सकता। तीनों देशों की अब तक की यात्रा के उतार-चढ़ावों पर गौर करें तो उससे भी यह बात स्थापित होती है कि धार्मिक कट्टरता किसी देश को सुख, शांति और समृद्धि की ओर नहीं ले जाती। पाकिस्तान में जिस तरह से लोकतंत्र की राह पर लौटने की कोशिशें बार-बार नाकाम होती रही हैं उससे साफ है धार्मिक कट्टरता के गड्ढे में गिरना जितना आसान है, उससे निकलना उतना ही मुश्किल।

बांग्लादेश ने पिछले करीब एक दशक में जिस तरह से विकास के कीर्तिमान बनाते हुए ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स में अपनी स्थिति सुधारी, उसके पीछे भी धार्मिक कट्टरता से दूरी की एक प्रमुख भूमिका मानी जाती रही है। सच है कि आज दुनिया के कई इलाकों में धार्मिक कट्टरता का जोर बढ़ रहा है। उसी तर्ज पर अपने देश में भी अक्सर धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें कुछ हलकों से होती हैं। लेकिन यह बात याद रखने की है कि धर्म चाहे जो भी हो, कट्टरता अपनी विशेषता नहीं छोड़ती। उसके बिछाए जाल को समझना और उससे दूरी बनाए रखना हर देश और समाज के विकास की बुनियादी शर्त है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य का निर्माण

दृष्टिकोण

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं को विदेश जाकर शिक्षा न लेनी पड़े। हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को लाखों या करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, हम ऐसे संस्थान भी स्थापित करना चाहते हैं, जो दूसरे देशों के लोगों को भारत आने के लिए आकर्षित करें। 9 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

29 जुलाई, 2020 को भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को मंजूरी दी। एनईपी का उद्देश्य इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की शैक्षिक प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। अधिक समावेशी और दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है।

विभिन्न योजनाएं पूरे देश में बदलाव ला रही हैं।

पीएमश्री: 7 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पहल को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूरे भारत में 14500 स्कूलों को मजबूत करना है। छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देना है। इस पर 27360 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

समग्र शिक्षा : एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, समग्र शिक्षा योजना सभी बच्चों को एक समावेशी और न्यायसंगत सीखने के माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहती है जो उनकी विभिन्न क्षमतायें और आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह प्रणाली 1 अप्रैल, 2021 को शुरू हुई और पांच साल तक चलेगी, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त होगी। वह विभिन्न छात्र समूहों को सक्रिय रूप से भाग लेने और अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

प्रेरणा : यह पहल कक्षा 9 वी से 12 वीं तक के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार के संयोजन का उपयोग करके एक आकर्षक और रोमांचक सीखने का अनुभव बनाना है। प्रत्येक सप्ताह, पूरे देश से 20 छात्रों (10 लड़के और 10 लड़कियाँ) का एक समूह इस कार्यक्रम में भाग लेगा।

उल्लास: जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2027 के लिए शुरू किया गया था। यह केंद्र समर्थित प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। कार्यक्रम का उद्देश्य उनके पढ़ने के कौशल में सुधार करना है, जिससे वे समाज में बेहतर तरीके से एकीकृत हो सकें और देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें।

निपुण भारत: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई, 2021 को निपुण भारत, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और न्यूमेरेसी प्रोफिशिएंसी के लिए राष्ट्रीय पहल की घोषणा की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का हर बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सीखे।

विद्या प्रवेश : कक्षा 1 के छात्रों के लिए तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या प्रवेश दिशा-निर्देश 29 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किए गए थे। इस प्रयास का लक्ष्य कक्षा एक में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक सकारात्मक और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि सबकुछ सुचारू रूप से चले। बदलावों को बेहतर बनाना और आनंददायक सीखने के अनुभव प्रदान करना।

विद्यांजलि : 7 सितंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करके और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों और निजी क्षेत्र से योगदान को प्रोत्साहित करके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है।

दीक्षा : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर, 2017 को इसकी शुरुआत की गई। मंच का लक्ष्य शैक्षिक नवाचारों और प्रयोगों में तेजी लाकर शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में सुधार करना है। दीक्षा राज्यों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप मंच को तैयार करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे देशभर के शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों और छात्र शिक्षकों को लाभ होता है।

स्वयं प्लस का आधिकारिक उद्घाटन 27 फरवरी, 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रमों, कौशल विकास, रोजगारपरकता और मजबूत उद्योग सहयोग के गठन के लिए एक अभिनव क्रेडिट मान्यता प्रणाली स्थापित करके उच्च शिक्षा को बदलना और रोजगार क्षमता बढ़ाना है।

निष्ठा : शिक्षा मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2019 को निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य 4.2 लाख प्राथमिक शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के पेशेवर विकास को बढ़ाना है। कोविड-19 महामारी के जवाब में निष्ठा पहल को 6 अक्टूबर, 2020 को दीक्षा मंच के माध्यम से ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। इस सफलता के आधार पर निष्ठा 2.0 को 2021-22 में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रकाशित किया गया, जबकि निष्ठा 3.0, जो मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित है, 7 सितंबर, 2021 को जारी किया गया।

एनआईआरएफ रैंकिंग : शिक्षा मंत्रालय ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 29 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) जारी किया। एनआईआरएफ ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए एक संगठित और पारदर्शी प्रणाली की स्थापना की, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार को आगे बढ़ाया।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। 2024-25 से 2030-31 तक 3600 करोड़ रुपये की लागत से पीएम-विद्यालक्ष्मी को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके लागू किया गया है, जिससे देश भर के छात्रों के लिए आसान पहुँच और निर्बाध अंतर-संचालन सुनिश्चित हो सके।

उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा में निवेश करें : भारत का वैश्विक नेतृत्व का मार्ग उसकी शिक्षा प्रणाली की मजबूती से जुड़ा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और एक लचीला शिक्षण वातावरण बनाने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रिकॉर्ड 73,498 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12,024 करोड़ (19.56त्न) की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है, जो शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण से थमेंगे हादसे

नजरिया

मधुरेन्द्र सिन्हा

अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के एक एक्सपर्ट के अनुसार बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है जैसे कानून का पालन करना तथा दोपहिया वाहन चालकों द्वारा नियमित रूप से हेल्मेट पहनना। अगर वाहन चालक निर्धारित गति से वाहन चलाता है, तो वह दुर्घटनाओं की चपेट में नहीं आता है। ओवर स्पीडिंग जान ले सकती है। दोपहिया सवारों के मामले में यह अक्सर देखा जाता है। यूनिसेफ के मुताबिक, देश में दुर्घटनाओं की संख्या में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है।

भारत में हर दिन औसतन 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में काल के गाल में समा जाते हैं। इनमें से औसतन 42 बालक होते हैं और 31 किशोर। कई, समय पर चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ देते हैं। मौतों के आंकड़ों को कम करने व दुर्घटनाओं को घटाने और एक जिम्मेदार नीति बनाने के लिए देश में कई आयोग बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास होता दिख नहीं रहा है। इनकी रिपोर्ट धूल खाती दिख रही है। इस दुखद और भयावह स्थिति को राष्ट्रीय महत्व देकर इसके समाधान का युद्धस्तरीय प्रयास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

इस तरह के हादसों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला और सबसे बड़ा कारण है तयशुदा रफ्तार से कहीं ज्यादा रफ्तार से वाहन चलाना। इससे न केवल अपनी जान को खतरा होता है, बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। एक गलती अपने अलावा दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। वाहन सही ढंग से न चलाने के अलावा हेल्मेट न पहनना मौत का कारण बनता है। देश में दुर्घटनाओं में मरने वालों में बिना हेल्मेट के चालकों की संख्या सबसे ज्यादा है। मशीनों का फेल हो जाना या टूटी-फूटी सड़कों का होना भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के एक एक्सपर्ट के अनुसार बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है जैसे कानून का पालन करना तथा दोपहिया वाहन चालकों द्वारा नियमित रूप से हेल्मेट पहनना। अगर वाहन चालक निर्धारित गति से वाहन चलाता है, तो वह दुर्घटनाओं की चपेट में नहीं आता है। ओवर स्पीडिंग जान ले सकती है। दोपहिया सवारों के मामले में यह अक्सर देखा जाता है। यूनिसेफ के मुताबिक, देश में दुर्घटनाओं की संख्या में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है।

डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों के अनुसार भारत की सड़कों पर 30 तरह के वाहन चलते हैं और सभी का अपना तरीका है, और यह सड़कों पर भ्रम पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में इतने लोगों का बेवजह मरना दुखद तो है, लेकिन इनसे जुड़े विश्वसनीय आंकड़े न होने से ठोस समाधान की दिशा में काम करना मुश्किल है। इस दिशा में कई आयोगों का गठन हुआ ताकि इस दिशा में काम हो सके, लेकिन सरकारों की ओर से कोई खास प्रगति नहीं हुई। ओवर स्पीडिंग के मसले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

दरअसल, आज के नौजवान आवेग में आकर काम करते हैं और वाहन तेज रफ्तार से चलाना उन्हें रोमांचित करता है। देश में सबसे ज्यादा लोग ओवर स्पीडिंग के कारण ही मरते हैं, और दुर्घटनाओं में मरने वालों के 72 प्रतिशत के लिए यही जिम्मेदार है। वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की यह चेतावनी भूल जाते हैं— 'स्पीड थ्रिल्स बट किल्स'। हमारा यही रवैया देश को दुनिया के नक्शे में दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में सबसे ऊंचे नंबर पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि थोड़ी-सी सावधानियां, जैसे गति सीमा का पालन करना, सीटबेल्ट पहनना और हेल्मेट का सही इस्तेमाल करना, कई जिंदगियों को बचा सकती हैं।

दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ ने एक दशक की योजना के अंतर्गत कई तरह की सिफारिशें की हैं। इसके तहत भारत सरकार ने भी 2030 तक देश में दुर्घटनाओं की संख्या को 50 प्रतिशत तक घटाने की मंशा रखी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों ने दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर काफी हद तक काबू पा लिया है। भारत में दुनिया के कुल 1 प्रतिशत वाहन हैं, जबकि दुर्घटनाओं में उसकी हिस्सेदारी 11 प्रतिशत की है।

भारत में कम उम्र के बच्चों और किशोरों की जान अक्सर खतरे में पड़ जाती है। इसमें गलती दोनों पक्षों की होती है, लेकिन एक पीढ़ी समय से पहले ही खत्म हो जाती है। बच्चे और महिलाएं सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार वाहनों के चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए वाहन चालकों के साथ-साथ दोपहिया चालकों को भी शिक्षित करने की जरूरत है। गति सीमा से ऊपर वाहन चलाने वालों के लिए हालांकि कठोर आर्थिक दंड है, लेकिन चालक बाज नहीं आते। देश में सिर्फ गति पर नियंत्रण रखने से ही बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सकती है। देश में 15 तरह के विभाग हैं जो सड़क सुरक्षा की दिशा में देखते और काम करते हैं, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। यहां पर रोड सेफ्टी पर बजट की बात भी उठती है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में कोई निश्चित बजट नहीं है और न ही कोई योजनाबद्ध तरीके से उसका आवंटन है। हर विभाग के अपने-अपने बजट हैं, जो वे इस पर खर्च करते हैं, जिससे कोई प्रभावी कदम नहीं उठ पाते हैं। अभी बहुत सारे एंबुलेंस और अस्पताल चाहिए ताकि दुर्घटनाओं में घायल को सही समय पर इलाज मिल सके।

कुछ राज्यों ने इस दिशा में मुहिम चलाकर इस दिशा में सफलता पाई है। इसमें तेलंगाना और गुजरात ने कई तरह के प्रयोग किए हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी भी आई है। तेलंगाना ने इस दिशा में पहल करते हुए पिछले साल 74 लोगों को मरने से बचाया। उन्होंने इसके लिए बच्चों को ट्रैफिक ट्रेनिंग देने जैसे काम किए, जिनका दूरगामी असर पड़ेगा।

आजकल

खतरनाक होता सड़कों पर चलना

वाकई भारत की सड़कों पर चलना अब जान हथेली में रखकर चलने जैसा ही होता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर पानीपत के निकट रॉन्ग साइड से आए एक ट्रक ने पांच लोगों की जान ले ली। बताया जाता है कि ड्राइवर नशे में था। रास्ते में जो आया उसे कुचलता चला गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसी दुर्घटनाओं में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। वे लोग जो अपने परिवारों के भरण-पोषण के संघर्ष में जुटे रहते हैं। जिनके लिये यह जीवनभर का दुख बन जाता है। वहीं कई घायल जीवनभर के लिये विकलांगता झेलने को अभिशप्त हो जाते हैं। कमोबेश सारे देश में ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं जिनमें रोज सैकड़ों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। देश की इन कातिल सड़कों की हकीकत बताता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का एक डराने वाला आंकड़ा पिछले दिनों सामने आया। मंत्रालय के अनुसार पिछले दस सालों में हुए सड़क हादसों में 15 लाख लोग मारे गए। यह आंकड़ा भयावह है और इस गंभीरता को संबोधित करने की जरूरत बताता है। दरअसल, वर्ष 2014 से 2023 के बीच सड़क हादसों में 15.3 लाख लोग मारे गए। बताते हैं कि सड़क हादसों में मरने वाले लोगों में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। यह हमारी व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर कर रहा है कि क्यों हर साल डेढ़ लाख लोग मारे जा रहे हैं।

सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर भारत की सड़कों पर चलना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा क्यों होता जा रहा है? आखिर दस साल में केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ जैसे शहर की आबादी से ज्यादा लोग क्यों अकारण मौत के मुंह में चले जाते हैं? आखिर उन लोगों का क्या कसूर था कि उनके हिस्से में ऐसी दर्दनाक मौत आई? आखिर क्यों हम पूरी दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मरने वाले देश के रूप में जाने जाते हैं? ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि देश में हर दस हजार किलोमीटर पर मरने वालों की दर 250 है जबकि अमेरिका, चीन और आस्ट्रेलिया में यह संख्या 57, 119 व 11 है। निश्चित रूप से भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का यह आंकड़ा एक संवेदनशील व्यक्ति को हिलाकर रख देता है।

बच्चों के अधिकारों का हो सम्मान

अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस (20 नवम्बर) पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।

इस वर्ष यह दिवस 'प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक अधिकार' विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है।

बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को 'अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस' मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वीके कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में।

दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आइए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है। जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर के चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है।

बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बालश्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं।

मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।